न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :– 70/2021

1. अब्दुल अजीज पुत्र इशाकखां जाति मुसलमान निवासी रिड़मलसर
2. जाकिर हुसैन पुत्री मकबूल अली जाति मुसलमान निवासी रिड़मलसर
3. तनवीर हुसैन पुत्री सलाउदीन जाति मुसलमान निवासी रिड़मलसर
4. मुमताज पत्नी सलाउदीन जाति मुसलमान निवासी रिड़मलसर
5. यासमीन पुत्री मकबूल अली जाति मुसलमान निवासी रिड़मलसर
6. शमशेर अली पुत्र ईशाक खां जाति मुसलमान निवासी रिड़मलसर
7. शौकतअली पुत्र सलाउदीन जाति मुसलमान निवासी रिड़मलसर तह0 बीकानेर हाल चक 2 के एल डी जरिये मुख्तयारआम रायधन खां पुत्र रहीमखां जाति मुसलमान निवासी चक 2 के एल डी तह0 खाजूवाला जि. बीकानेर।

.....वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला।

.... प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री बृजलाल चाहर अधिवक्ता वादी की ओर से
2. पैरोकारराज उपस्थित

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी. एक्ट एवं 136 एल. आर.एक्ट

–: निर्णय :– **दिनांक :– 13.02.2023**

यह वादपत्र वादी की ओर से अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट. एवं 136 एल. आर. एक्ट में प्रस्तुत किया है। वादपत्र से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण की माता/दादी बालू बेवा ईसाक खां के नाम चक 2 के.एल.डी. के मु0 नं0 170/41 के किला नं0 4 ता 8, 13 ता 16, 18, 19, 21 ता 25 कुल 12 बीघा 1 बिस्वा बतौर भूमिहीन दिं0 31. 03.1984 से पुख्ता आवंटन शुदा है, जिसका रिकॉर्ड में अंकन दि0 2048 से 51 की गिरदावरी में किया गया। वरवक्त अमलदरामद किला नं0 4 की 13 बिस्वा प्रस्तावित शमशान कि0नं0 7,8,13,14 की कुल 2 बीघा 8 बिस्वा वास्ते कब्रिस्तान व किला नं0 17 हड्डारोडी प्रस्तावित आदेश कैम्प 0 आर.डी. दि0 27.08.1984 के द्वारा रिकॉर्ड में अकंन कर वादीगण की भूमि आगामी खसरा गिरदावरी में वादीगण की मां/दादी के नाम शेष भूमि दर्ज कागजात रही। संवत् खसरा गिरदावरी 2056 से 2069 तक निरन्तर वादीगण की मां/दादी के नाम किला नं0 15, 16 व 17 ता 25 रिकॉर्ड में बतौर पुख्ता आवंटन दर्ज रहा। उक्त भूमि मुताबिक आवंटन रिकॉर्ड में दर्ज रही लेकिन तत्कालीन उपनिवेशन पटवारी द्वारा खसरा गिरदावरी सवत् 2070 में बालू का नाम किला नं0 24, 25 में लिखते हुवे साथ में नीचे आराजीराज लिख दिया जबकि उक्त खसरा गिरदावरी में कोई भी सक्षम अधिकारी के आदेश का कोई नोट अंकित नहीं किया और ना ही कोई आदेश था। इसके बाद कालान्तर में उक्त रकबा उपनिवेशन से राजस्व में आया तो वरवक्त रिकॉर्ड संधारण किला नं0 24, 25 आराजीराज दर्ज कर दिया गया जबकि वादीगण की मां/दादी को उक्त भूमि विधिवत पुख्ता आवंटन शुदा थी और निरन्तर कब्जा काश्त आज दिनांक तक मां/दादी के फौत पश्चात वादीगण का चला रहा है। वादीगण की मां/दादी फौत हो चुकी है जिनके वादीगण विधिक वारिस है जो आजदिनांक रिकॉर्ड पर है और इसी मुताबिक अपनी विरासतन पुख्ता आवंटन भूमि चक 2 केएलडी के मु0नं0 170/41 के किला नं0 24, 25 को विधिवत जरिये घोषणात्मक रिकॉर्ड दुरुस्ती राजस्व रिकॉर्ड में आराजीराज को हटाकर अपने नाम बतौर पुख्ता आवंटी विरासतन दर्ज करवाने के विधिक अधिकारी है।

सर्वप्रथम वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार खाजूवाला से रिपोर्ट/तखा/कोर्ट/2021/1551 दिनांक 24.09.2021 प्राप्त हुई जिसके अनुसार चक 2 केएलडी के मु0नं0 170/41 किला नं0 24, 25 तादादी 2.00 बीघा कमाण्ड भूमि आराजीराज दर्ज है। इसी मु0नं0 के किला नं0 15, 16/2.0, 18/1.0, 19/.10, 21/0.10, 22, 23/2.00 कुल 06.00 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि यासनीन पुत्र मकबूल अली, शरीफ, जाकिर हुसैन पि. मकबूल 1/4 हिस्सा, मुमताज पत्नी सलाउदीन, तनवीर, शौकत अली पि. सलाउदीन 1/4 हि., शमशेर अली, अब्दुल अजीज पि. इसाक खां 2/4 हि. कौम मुसलमान निवासी रिड़मलसर जिला बीकानेर के नाम पुख्ता आवंटन दर्ज है। आवंटन आदेश अनुसार मु0नं0 170/41 के किला नं0 4 ता 8, 13 ता 16, 18, 19 व 21 ता 25 कुल 12.01 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि अंकित है। उक्त रकबे में से वर्तमान जमाबन्दी में मु0नं0 170/41 के किला नं0 4 ता 8 रकबा 3.08 बीघा भूमि सिवायचक श्मसान दर्ज है तथा किला नं0 13, 14 रकबा 1.13 बीघा भूमि पशु चिकित्सालय 2 केएलडी के नाम दर्ज है। गिरदावरी संवत् 2056—59 में मु0नं0 170/41 के किला नं0 24 व 25 में 2.00 बीघा भूमि बालू बेवा ईशाक खां मुसलमान निवासी रिड़मलसर के नाम दर्ज था लेकिन गिरदावरी लेकिन गिरदावरी संवत 2056—2059 में कि0नं0 24 व 25 तादादी 2.00 बीघा भूमि अराजीराज दर्ज है, जो वर्तमान जमाबंदी में अराजीराज दर्ज है। वादीगण अधिवक्ता ने वादपत्र/प्रार्थनापत्र के पक्ष में मूल आवंटन पत्रावली की नकल जिला अभिलेखागार कलेक्ट्रेट बीकानेर क्रमांक 3193 दिनांक 15.11.22 व गिरदावरीयां पेश की जिसमें किला नं0 24, 25 बालूदेवी बेवा ईसाकदीन मुसलमान निवासी रिड़मलसर तहः बीकानेर अंकित है।

बहस सुनी गई। वादीगण अधिवक्ता ने दौराने बहस वादपत्र के कथनों को दोहराते हुवे निवेदन किया कि श्रीमान वादीगण की मां/दादी फौत हो चुकी है इसलिए हम वारिसान के नाम पुख्ता आवंटन राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज के आदेश फरमावें।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन व बहस पर मनन करने से इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वाद वादीगण मूलआवंटन पत्रावली व तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार कर डिक्री किये जाने काबिल पाया जाता है। अतः वादीगण का वाद उपलब्ध दस्तावेज व तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट के आधार पर धारा 88 आरटीएक्ट व 151 सीपीसी अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुवे स्वीकार किया जाता है तथा मु0नं0 170/41 के किला नं0 24, 25 अराजीराज के स्थान पर मूल आवंटी बालूदेवी बेवा ईसाकदीन मुसलमान सा0 रिड़मलसर तहः बीकानेर के जायज वारिसान के नाम हक हिस्सा अनुसार पुख्ता आवंटन दर्ज के आदेश किये जाते है। तहसीलदार खाजूवाला वादगत रकबे के संबंध में जांचकर लेवें कि उक्त रकबा वनविभाग, खनन से प्रभावित नहीं है एवं सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित अथवा किसी अन्य को आवंटन नहीं हुआ है तथा आवंटी का आवंटन आज दिनांक तक बहाल है। उक्त बिन्दुओं की जांच सही पाये जाने पर मुताबिक आदेश नियमानुसार अमलदरामद की कार्यवाही करें और नियमानुसार कोई राजस्व की हानि होती है तो वसूल कर नियमानुसार राजस्व मद में जमा करावें।

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)